सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 48/14

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री आलासिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पंचायत समिति, सादुलशहर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्व आदेश मोरजण्डखारी दिनांक 2–9–14

उपस्थित : 1. श्री प्रेप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2 श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश **दिनांक : 18–01–2016**

प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता को वाके चक सुन्दरपुरा में अहाता सं0 16 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–10–1988 को आवंटित किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2–9–14 को निगरानीकर्ता को एक नोटिस दिया गया जिसमें निगरानीकर्ता के आवंटित भूखण्ड को अतिक्रमण माना है। निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड से संबंधित से पट्टा व मिसल ग्राम पंचायत में पेश की गई। निगरानीकर्ता आवंटित भूखण्ड पर ही काबिज है। निगरानीकर्ता के भूखण्ड के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं रहा है। आवेदक भूखण्ड सं0 16 जो ए से बी व सी से डी दर्शाया गया है, उसमें निगरानीकर्ता द्वारा कभी भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि आवंटित भूखण्ड सं0 16 वाके चक सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में कोई कार्यवाही करने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि निगरानीकर्ता को वाके चक सुन्दरपुरा में अहाता सं0 16 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–10–1988 को आवंटित किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2–9–14 को निगरानीकर्ता को एक नोटिस दिया गया जिसमें निगरानीकर्ता के आवंटित भूखण्ड को अतिक्रमण माना है। निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड से संबंधित से पट्टा व मिसल ग्राम पंचायत में पेश की गई। निगरानीकर्ता आवंटित भूखण्ड पर ही काबिज है। निगरानीकर्ता के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

भूखण्ड के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं रहा है। आवेदक भूखण्ड सं0 16 जो ए से बी व सी से डी दर्शाया गया है, उसमें निगरानीकर्ता द्वारा कभी भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि आवंटित भूखण्ड सं0 16 वाके चक सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में कोई कार्यवाही करने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि निगरानी पोषणीय नहीं है क्योंकि निगरानी का आधार नोटिस बनाया गया है। ग्राम पंचायत का आदेश नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में निगरानीकर्ता को दिनांक 2–9–14 को नोटिस जारी कर गली में से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि आवंटित भूखण्ड सं0 16 वाके चक सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में कोई कार्यवाही करने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है वह निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड सं0 16 वाके चक सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में कोई कार्यवाही करने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2–9–14 को नोटिस जारी कर सात दिवस के अन्दर–2 अतिक्रमण हटा लेवें अन्यथा निगरानीकर्ता के खिलाफ अवैध अतिक्रमण मानते हुए नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी। इस नोटिस में यह भी अंकित किया गया है कि पूर्व में दिनांक 13–8–14 को नोटिस जारी किया गया था, उसका कोई संतोषजनक जवाब निगरानीकर्ता द्वारा नहीं दिया गया और न ही गली से अतिक्रमण हटाया है।

इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा नोटिस के आधार पर जो अनुतोष चाहा गया है, वह विधिसम्मत् नहीं है और न ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पोषणीय है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी पोषणीय न होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी पोषणीय न होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 18–01–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।
18/1/16